...या गया। ... हुआ। प्रकरण ... 09.01.2024 –

#2024/28

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

कालूराम मीणा बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– ~~2023~~ 13/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/01/2024 ~~13/02/2024~~	पत्रावली तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट क्रमांक/2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होवे। अग्रि. नोटिस जारी होवे। पत्रावली वास्ते तामील के दि. 13/2/2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	कालूराम मीणा
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष ~~उपस्थित~~ उपस्थित। प्रार्थी पक्ष की बहस को सुना किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आदेश मुताबिक विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 13/2024
जीसीएमएस नं0 :–2024/28
उनवान :– कालूराम मीणा बनाम सरकार

::– **आदेश** –::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चिताणुकलां, पटवार हल्का चिताणुकलां, तहसील आमेर की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 31 व 243 में फूला पुत्र छोटया तथा फूल्या पुत्र छोटया के स्थान पर रामफूल पुत्र छोटू शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर